न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 75/19 निर्णय दिनांकः– 22/11/2021
(जीसीएमएस संख्या 2019/00326)

1. बस्तीराम पुत्र काछबाराम जाति बिश्नोई निवासी सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. हंसराज पुत्र काछबाराम जाति बिश्नोई निवासी सलूण्डिया तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा
दिनांक 31–10–2019

उपस्थितः–
1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री ऋतुराज तंवर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 31–10–2019 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने/स्वेच्छाधारी व विधि विरूद्व तरीके से नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि तहसील नोखा के ग्राम सलूण्डिया के खेत खसरा नम्बर 2009/1212 तादादी 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 2009/1184 तादादी 4.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 2012/339 तादादी 0.07 हेक्टर कुल तादादी 4.87 हेक्टर में स्थित है। अपीलांट की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 2009/1184 तादादी 4.11 हेक्टर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 16:37:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के दक्षिण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि खेत खसरा नम्बर 2010/1184 तादादी 4.11 हेक्टर स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी कृषि भूमि ग्राम सलूण्डिया के खेत खसरा नम्बर 2010/1184 में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 2009/1184 आवागमन हेतु गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत ने दिनांक 31—10—2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 2009/1184 की पूर्वी सीमा पर रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत जाते हुए अपीलांट के विरूद्ध पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वह अपीलार्थी की भूमि में से अपने खेत में आवागमन हेतु अन्य को रास्ता उपलब्ध नहीं है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 2010/1184 पर आवागमन हेतु पीढ़ियों से सलुण्डिया से सोमलसर जाने वाला मार्ग लगता है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अर्सेदराज से आवागमन करता आ रहा है उक्त रास्ता मौके पर काफी समय से चल रहा है। वास्तव में ना तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कभी अपीलार्थी के खेत में से आता जाता रहा है ना ही मौके पर ऐसा कोई मार्ग आवागमन हेतु वर्तमान में उपलब्ध है। उक्त तथ्यों को सावित करने का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के तहत वो ही खातेदार रास्ते की मांग कर सकता है जिसके खेत में जाने के लिए कोई रास्ता पूर्व में उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बाबत प्रस्तुत नजरी नक्शें के अवलोकन मात्र से यह तथ्य साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत खसरा नम्बर 2010/1184 में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व से ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:37:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है तो धारा 251ए के तहत नये रास्ते की मांग नहीं की जा सकती। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई

भी काश्तकार अपनी सुविधा के लिये नये रास्ते की मांग नहीं कर सकता। नये रास्ते की मांग तभी की जा सकती है, जब रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध होने कारण धारा 251 ए के प्रावधान प्रस्तुत मामलें पर लागू नहीं होते है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

जहॉं तक रास्ते के प्रकरण का प्रश्न है अदालत मातहत को चाहिए था कि वे वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट तहसीलदार या भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी से से मंगवाई जानी अपरिहार्य है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रेषित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया कि पत्रावली में शामिल तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत् भूमि तक जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा व कब तैयार की गई व किसकी उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की गई, इसका कोई विवेचन अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 69 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंधन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के खेत में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने का आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के उपधारा II में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब आप खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:37:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से व रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2019 पार्ट II पेज 1507, आरआरटी 2019 पार्ट I पेज 403, आरएलडब्ल्यू 2018 पार्ट I पेज 674, आरआरटी 2018–19 स्प. पेज 342, आरआरटी 2019 पार्ट II पेज 1128 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम तहसील नोखा के ग्राम सलूण्डिया के खेत खसरा नम्बर 2010/1184 तादादी 4.11 हेक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में अपीलांट की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 2009/1184 में से रास्ते की मांग की गई।

उन्होनें आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आये तथा उनके द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत किया गया। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा दौराने बहस उठाई गई उक्त आपत्ति की चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में धारा 251ए के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपीलांट को उक्त आपत्ति अदालत मातहत के समक्ष प्रथम स्तर में उठाई जानी चाहिए थी। अपीलांट अब अपील के स्तर पर उक्त आपत्ति को नहीं उठा सकते।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:37:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में अपीलांट का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार/प्रेषित नहीं की गई है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कथन किया गया वादग्रस्त भूमि के बाबत् दिनांक 13–09–2019 को प्रेषित रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि वस्तुस्थिति की बिन्दुवार रिपोर्ट प्रेषित है। उक्त रिपोर्ट के पैरा संख्या 3 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की उक्त आपत्ति का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि पर रास्ता कायम करने का प्रश्न है, चूंकि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत मुरब्बा नम्बर 2009/1184 में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये जाने व यह तथ्य साबित होने पर कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही उक्त रास्ता स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि ग्राम सलूण्डिया के खेत खसरा नम्बर 2009/1 पूर्वी सीमा पर 120X6 = 720 मीटर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:37:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में रास्ता उपलब्ध होते हुए भी रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व वादगत् भूमि के बावत् प्रस्तुत नजरी नक्शे का अवलोकन किया।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, रास्ते के मामलों में सर्वप्रथम यह कथन उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत रास्ते के प्रावधानों में मौका रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया तैयार किया जाना अपरिहार्य है। प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वादग्रस्त भूमि के बाबत् संबंधित तहसीलदार द्वारा दिनांक 13–09–2019 को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रेषित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी वाके रोही सलूण्डिया के खेत खसरा नम्बर 2010/1184 का खातेदार है, प्रार्थी को अप्रार्थी की भूमि खेत खसरा नम्बर 2009/1184 की पूर्वी सीमा पर रास्ता दिया जाना उचित है। इसी प्रकार उक्त रिपोर्ट के पैरा संख्या 3 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी के खेत में आने–जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है।

प्रस्तुत मामलें में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 2010/1184 में आवगामन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रेस्पोडेन्ट को उसकी खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 2010/1184 में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 2009/1184 की पूर्वी सीमा पर 120X6 = 720 मीटर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है।

धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जाँच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार (प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rameswaroop Chauhan
Date: 2022.06.05 13:37:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नये रास्तों के लिए हो) पहुँचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त करने व प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को उसकी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

हम अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत है कि रास्ते के आवेदन में दूर या नजदीक का प्रश्न नहीं है, वरन् यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह युक्तियुक्त, तार्किक, आत्यांतिक आवश्यकता व सुखाचार की शर्तो को पूरा करते है या नहीं? प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तुत प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के आवागमन हेतु पूर्व में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में धारा 251ए के तहत जिसके अनुसार पूर्व में रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नया रास्ता कायम किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा मौके पर आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर रेस्पोडेन्ट को उसकी खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 2010/1184 में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 2009/1184 की पूर्वी सीमा पर 120X6 = 720 मीटर गैर मुमकिन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 31–10–2019 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 22/11/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:37:48 IST
Reason: SelfAttested

22/11/2021

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर